नया न्यूनतम वेतन

कामगारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

कतर सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अपनाई है जो मार्च **2021** से प्रभावी होगी। कामगारों और उनके परिवारों के घर में जीवन स्तर में सुधार के लिए नई न्यूनतम मजदूरी शुरू की गई है। यह देश में अधिक कुशल और उत्पादक कार्यबल का भी नेतृत्व करेगा।

नया न्यूनतम वेतन क्या है?

मार्च 2021 से, आपका नियोक्ता कानूनी रूप से आपको एक माह में QAR 1,000 से अधिक का मूल वेतन देने के साथ आपको उपयुक्त आवास और भोजन प्रदान करना होगा।

हालांकि, आपका नियोक्ता आपको अधिक राशि दे सकता है ताकि आप अपने भोजन की व्यवस्था कर सकें और अपना आवास चुन सकें।

इस प्रकार, न्यूनतम मजदूरी के लिए तीन अलग-अलग दरें हैं:

- → आपके नियोक्ता द्वारा आपको उपयुक्त भोजन और आवास प्रदान करने पर (यानी आप भोजन और आवास का भुगतान नहीं करते), आप कम से कम QAR 1,000 मूल वेतन के हकदार होंगे।
- → यदि आपका नियोक्ता आपको उपयुक्त आवास प्रदान करता है, लेकिन भोजन प्रदान नहीं करता, तो आप कम से कम QAR 300 के मूल वेतन पर QAR 1,000 के भोजन भत्ते के हकदार होंगे। इस मामले में, आपको प्रति माह कम से कम QAR 1,300 मिलना चाहिए।
- → यदि आपका नियोक्ता आपको आवास या भोजन प्रदान नहीं करता, तो आप भोजन के लिए कम से कम QAR 300 और कम से कम QAR 500 के मूल वेतन पर आवास के लिए QAR 1,000 के भत्ते के हकदार होंगे। इस मामले में, आपको प्रति माह कम से कम QAR 1,800 मिलना चाहिए।

क्या न्यूनतम मजदूरी समस्त कामगारों पर लागू होती है?

हाँ। न्यूनतम मजदूरी सभी कामगारों पर लागू होती है, भले ही वे किसी देश से आए हों और वे कुछ भी काम कर रहे हों। इसमें घरों में कार्यरत महिला और पुरुष शामिल हैं।

न्यूनतम वेतन कब से प्रभावी होगा?

न्यूनतम वेतन शिनवार दिनांक 20 माचर्, 2021 से प्रभावी होगा।

आवास और भोजन के न् यू नतम मानक(स् टैंडर्) क्या हैं?

आपके नियोक्ता द्वारा आपको आवास दिए जाने पर, उन् हें 2014 के मंत्रीस् तर के फै सले नंबर 18 के मानकों(स् टैंडर्) का पालन करना होगा। यिद वे आपको भोजन देते हैं, तो उन् हें प्रितिदन आपको तीन भोजन देने होंगे, जिनसे सांस्कृतिक तौर पर उपयुक् त, पौष्टिक और पयार्प्त कै लोरी मिल सके ।

मेरे ओवरटाइम की गणना कैसे होगी?

मार्च 2021 से, ओवरटाइम की दर नए न्यूनतम मूल वेतन से कम नहीं होगी। यह आपके अनुबंध की शर्तों के आधार पर अधिक हो सकता है।

श्रम कानून के अनुच्छेद 74 के अनुसार, ओवरटाइम दर आपकी सामान्य प्रति घंटा की दर से 25% अधिक है।

हालांकि, यदि आप अपने छुट्टी के दिन काम करते हैं, तो आपको सामान्य प्रति घंटा की दर से 50% से अधिक ओवरटाइम मिलना चाहिए।

आपके शिफ्ट वर्कर न होने और आपके 21:00 और 03:00 के बीच काम करने पर, आपको सामान्य प्रति घंटा की दर के साथ साथ 50% मिलना चाहिए।

सेवा समाप्ति पर ग्रेच्युटी गणना कैसे होगी?

मार्च 2021 के बाद आपका अनुबंध समाप्त होने पर, आपकी सेवा ग्रेच्युटी की समाप्ति की गणना नए न्यूनतम मूल वेतन (श्रम कानून के अनुच्छेद 72) के आधार पर होगी।

अपने वतर्मान अनुबंध के तहत मुझे नए न्यूनतम वेतन से कम मिल रहा है। क्या नया कानून मुझ पर लागू होता है?

हां, नया न्यूनतम वेतन प्रभावी होने पर, आपके मौजूदा अनुबंध उिल्लिखत राशि चाहे कुछ भी हो, नया कानून आप पर लागू होता है। दिनांक 20 माचर्, 2021 से, आपके नियोक्ता को कानूनी तौर पर प्रितमाह आपको कम से कम QAR 1,000 का भुगतान करना होगा, भले ही आपके अनुबंध में इस राशि से कम की मजदूरी का जिक्र हो।

कानून में नए आपको नई मजदूरी पाने के लिए आपको और आपके नियोक्ता को नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, नियोक् ता द्वारा नए कानून में भुगतान और शतोर्ं में किए गए बदलाव के बारे में िलिखत में सूचना देना अच् छा रहेगा।

यदि मुझे पहले से ही नए न्यूनतम वेतन से अधिक मिल रहा है तो क्या मैं प्रभावित होऊंगा?

जरुरी नहीं। आपका मूल वेतन, भोजन और आवास कानून के अनुसार पहले से अपेक्षा से अधिक होने पर, आपका नियोक्ता आपका वेतन बढ़ाने को बाध्य नहीं है। आप उच्च वेतन या अधिक लाभ के लिए बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस पर आपके नियोक्ता को सहमत होना होगा।

क्या मेरा नियोक्ता मेरे वेतन को नए न्यूनतम वेतन में घटा सकता है?

आपके नियोक्ता द्वारा आपका वेतन न्यूनतम वेतन स्तर तक कम करने का प्रयास करने पर, यह अनुबंध का उल्लंघन होगा, आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

नए मंत्रिस्तरीय डिक्री के अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि आपका नियोक्ता आपका वेतन कम करने और आपके मौजूदा अनुबंध में शर्तों से कम अनुकूल परिस्थितियों की पेशकश करने के औचित्य के रूप में नए कानून का उपयोग नहीं कर सकता।

मार्च 2021 के बाद न्यूनतम वेतन से कम मिलने पर मुझे क्या करना चाहिए?

आप इसे अपने नियोक्ता के साथ बढ़ा सकते हैं, और/ या प्रशासनिक विकास, श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं। आप हॉटलाइन (16008), या ईमेल (info@adlsa.gov.qa)) पर या श्रम संबंध विभाग में व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।